न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 109/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि. कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छीतरमल

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैसर्स रिद्धी सिद्धि गारमेन्टस जरिये प्रोपराइटर देवेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह** जाति राजपुत, निवासी गणपती प्लॉजा, बालाजी मन्दिर के पास, सालासर जिला चुरू 331506
2. **योगेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह** जाति राजपुत निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ वर्तमान तहसील नेछवा जिला सीकर 332318
3. **देवेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह** जाति राजपुत निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ वर्तमान तहसील नेछवा जिला सीकर 332318
4. **मूलसिंह पुत्र उम्मेदसिंह शेखावत** जाति राजपुत निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ वर्तमान तहसील नेछवा जिला सीकर 332318
5. **प्रेमकंवर पत्नी मूलसिंह** जाति राजपुत निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ वर्तमान तहसील नेछवा जिला सीकर 332318

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः 20 जनवरी, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **मैसर्स रिद्धी सिद्धि गारमेन्टस जरिये प्रोपराइटर देवेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्र**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मूलसिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह, मूलसिंह पुत्र उम्मेदसिंह शेखावत एवं **प्रेमकंवर पत्नी मूलसिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **प्रेमकंवर** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पति **आवासीय भूखण्ड पट्टा सं. 10, निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1310.11 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में महेन्द्र सिंह, भवानी सिंह वगैरह की भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में सार्वजनिक चौक व बजरंगलाल, करणाराम पारीक का मकान एवं दक्षिण दिशा में पाबूदान व महेन्द्र सिंह की भूमि है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 15,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पंद्रह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **13.08.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **13.08.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **मैसर्स रिद्धी सिद्धि गारमेन्टस जरिये प्रोपराइटर देवेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह, मूलसिंह पुत्र उम्मेदसिंह शेखावत** एवं **प्रेमकंवर पत्नी मूलसिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **प्रेमकंवर** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पति **आवासीय भूखण्ड पट्टा सं. 10, निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1310.11 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में महेन्द्र सिंह, भवानी सिंह वगैरह की भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में सार्वजनिक चौक व बजरंगलाल, करणाराम पारीक का मकान एवं दक्षिण दिशा में पाबूदान व महेन्द्र सिंह की भूमि है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **20 जनवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर